फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

बीरबल बनाम सैदा

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 67 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.18	अभिभाषक अपीलांट श्री उमाशंकर व्यास उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम कायमवाला के खसरा नम्बर 32 मिन व 33 मिन के खाता संख्या 18, 18 व 20 जिसके हाल चक सख्या 12 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 187/14, 187/15, 187/6, 187/7 की 100 बीघा व चक संख्या 1, 2 बीएसएमआर के मुरब्बा नम्बर 167/60, 167/61, 167/53, 167/54, 167/52, 167/62 की 150 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 88/28 की 25 बीघा भूमि व ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 82, 83, 81/87 की 204 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सायानि 102 बीघा 2 बिस्वा इस प्रकार कुल 507 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से ग्राम कायमवाला की 404 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 297 बीघा भूमि आराजीराज घोषित की गई। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा ना तो कोई साक्ष्य ली गई ना ही कोई जवाब आदि लिया गया केवल मात्र राज्य पक्ष के मौखिक कथन पर विश्वास करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष मूल पत्रावली तलब हेतु जैरकार था जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं हुई है। अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादगत् भूमि आबादी, गैर मुमकिन या वन विभाग के लिए आरक्षित भूमि रही हो। अदालत मातहत द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण मात्र से बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के मौखिक कथन के	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में राज्य पक्ष की तरफ से एक भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो साबित करता हो कि वादगत् भूमि आबादी, गैर मुमकिन अथवा वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कब्जे की कोई जॉच की गई ना ही हल्का पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश केवल मात्र मानमाना व कब्जे काश्त की रिपोर्ट के अभाव में मात्र सरसरी तौर पर पारित किया गया आदेश है। यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवटन से पूर्व अपीलांट का सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही किसी प्रकार के मौके की कोई जॉच की गई। यदि अदालत मातहत द्वारा वादगत् के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो यह स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रकरण में चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट का हक व हकूक बरकरार है तथा अपीलांट का अपने हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटित की गई तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में साबित होता हैं अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–05–2018 की पालना स्थगित फरमाई जाकर वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि वादगत् भूमि ग्राम कायमवाला के खसरा नम्बर 32 मिन व 33 मिन के खाता संख्या 18, 18 व 20 जिसके हाल चक सख्या 12 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 187/14, 187/15, 187/6, 187/7 की 100 बीघा व चक

Scanned by CamScanner

संख्या 1, 2 बीएसएमआर के मुरब्बा नम्बर 167/60, 167/61, 167/53, 167/54, 167/52, 167/62 की 150 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 88/28 की 25 बीघा भूमि व ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 82, 83, 81/87 की 204 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सायानि 102 बीघा 2 बिस्वा इस प्रकार कुल 507 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से ग्राम कायमवाला की 404 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 297 बीघा भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। अदालत मातहत द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये व दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनाा पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के आदेश दिनांक 21–03–1975 के विरूद्व 42 वर्ष उपरान्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि आराजीराज, गैर मुमकिन नर्सरी, गैर मुमकिन आबादी तथा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि अन्य प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधाका संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। चूंकि वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज, गैर मुमकिन नर्सरी, गैर मुमकिन आबादी तथा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा वादगत् भूमि के रिकार्ड का यथावत कायम रखते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर निष्फल धोषित करते हुए प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है व अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष निर्धारित दिनांक 19–12–2018 को उपस्थित हो चाराजोई करें।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner